



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-29.03.2025

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

आज दिनांक 29.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.विश्वास उर्फ परमजीत पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सिसौली थाना भौरा कलां जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण:-

1.एक अदद अवैध तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।



थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

दिनांक 28.03.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.राहुल पुत्र एहसान निवासी ग्राम गंगेरु थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.एक अदद अवैध तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।



थाना कांधला पुलिस द्वारा महिला को आत्महत्या करने हेतु उकसाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि वादी श्री बलजीत पुत्र रुपलाल निवासी ग्राम गढ़ मिरकपुर थाना राई जनपद सोनीपत हरियाणा की पुत्री ने अपनी ससुराल ग्राम डुण्डूखेड़ा में आत्महत्या कर ली थी जिसके सम्बन्ध में परिजनो की तहरीर के आधार पर दिनांक 25.03.2025 को थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 29.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा कांधला क्षेत्रांतर्गत महिला को आत्महत्या करने हेतु उकसाने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.नीरज पुत्र पवन निवासी ग्राम डुण्डूखेड़ा थाना कांधला जनपद शामली ।
- 2.पवन पुत्र बिरमा निवासी ग्राम डुण्डूखेड़ा थाना कांधला जनपद शामली ।



थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 22 पच्चे अंग्रेजी शराब क्रेजी रोमियो (मार्का) बरामद:-

आज दिनांक 29.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 22 पच्चे अंग्रेजी शराब क्रेजी रोमियो (मार्का) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. राहुल कुमार पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अंग्रेजी शराब 22 पच्चे क्रेजी रोमियो (मार्का)।



थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा जुआ खेलते 04 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से नकदी 2010/- रुपये व 52 ताश पत्ते बरामद:-

आज दिनांक 29.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 04 जुआरियों को नकदी 2010/- रुपये एवं 52 ताश पत्ते सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

- 1.संदीप पुत्र समय सिंह निवासी ग्राम गढीअब्दुल्ला खाँ थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 2.अमित पुत्र राय सिंह निवासी ग्राम गढीअब्दुल्ला खाँ थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 3.शाहिद पुत्र गय्यूर निवासी ग्राम गढीअब्दुल्ला खाँ थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 4.सुशील पुत्र बुद्ध सिंह निवासी जाफरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.नकदी 2010/- रुपये।
- 2.-52 ताश पत्ते।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में युवती को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में 01 अपराधी को मा0 न्यायालय मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई कारावास 05 वर्ष कारावास की सजा एवं 8,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

वर्ष 2017 में झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त कपिल पुत्र सुदेश निवासी ग्राम विजयवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा युवती को बहला फुसला कर ले जाने की घटना कारित की गई थी । जिसके संबंध में पीडिता के परिजन की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 170/2017 धारा 363/366 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसमें शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा सुसंगत एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था । जिसके क्रम में शामली पुलिस के अथक प्रयास एवं निरंतर प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 29.03.2025 को माननीय न्यायालय ADJ/SPL POCSO – 2 मुजफ्फरनगर द्वारा उक्त मामले में अभियुक्त कपिल को धारा 363 भादवि में 05 वर्ष कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 366 भादवि में 03 वर्ष कारावास व 3,000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.कपिल पुत्र सुदेश निवासी ग्राम विजयवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 2,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 1992 में अभियुक्त शौकीन पुत्र नन्हा निवासी ग्राम परासौली थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 178/1992 धारा 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 29.03.2025 को माननीय न्यायालय ACJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI